23/2/22	[illegible]

[illegible]

23/02/22 [illegible]

[illegible]

अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
[illegible] कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:45:44 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी

लल्लूराम बनाम गणेश व अन्य

राजस्व वाद / प्रा0पत्र सं0 20 / 2021

दिनांकः 23/2/22

दिनांक 09.09.2021 को प्रार्थी लल्लूराम ने जरिये अधिवक्ता मनोज अजमेरा प्रार्थना पत्र बाबत वाद पत्र रिस्टोर करने हेतु पेश कर निवेदन किया कि उक्त पत्रावली में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर के आदेश के बिना कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती थी। अतः इस कारण दिनांक 18.03.2021 को प्रार्थी / वादी मान्य न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। दिनांक 18.03.2021 को तारीख पेशी नियत थी किंतु प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा मान्य न्यायालय में तारीख पेशी के बारे में प्रार्थी को अवगत नहीं कराया, दिनांक 18.03.2021 को न तो प्रार्थी और ना ही प्रार्थी अधिवक्ता मान्य न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सके इसलिये प्रार्थी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज फरमा दिया गया। अतः रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि यह प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर वाद पत्र को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश प्रदान किये जाये।

इसके उपरान्त प्रार्थी को सभी पक्षकारों की तामील के आदेश दिये गये। बाद तामील प्रतिवादी सं0 8 श्रीमती जनकू देवी पत्नी स्व0 रामनाथ के 4 वर्ष पूर्व फौत होने की जानकारी प्राप्त हुई।

बाद तामील प्रतिवादी सं0 7, 9, 13 से 16 व 19 का वकालतनामा व जवाब प्राप्त हुआ। प्रतिवादी सं0 7, 9, 13 से 16 के अधिवक्ता ने अपने जवाब में उल्लेख किया कि प्रार्थना पत्र में मूल वाद का नम्बर भी अंकित नही किया है इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी ने उल्लेख किया कि प्रार्थी का कथन है कि उक्त पत्रावली माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर के आदेश के बिना कोई कार्यवाही नही की जा सकती थी, इस कारण दिनांक 18.03.2021 को प्रार्थी माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हो सके थे, व यह भी कहा है कि प्रार्थना पत्र में दिनांक 18.03.2021 को प्रार्थी अधिवक्ता अस्वस्थ होने के कारण आवाज के समय उपस्थित नहीं हो सके और दिनांक 18.03.2021 को पेशी की जानकारी प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी को नहीं दी गई थी, इसलिये प्रार्थी भी माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका, इसलिये प्रार्थी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज फरमा दिया गया, जो विरोधाभासी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:45:44 IST
Reason: SelfAttested

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

दिनांक 15.02.2022 को उभयपक्षों की बहस सुनी गई। जिस में प्रार्थी/अप्रार्थी पक्ष ने उक्त लिखित तथ्य पुनः दोहराए। न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की बहस का मनन किया गया। इस पत्रावली में निम्नलिखित कमियां/विचारणीय बिन्दु पाये गये:

1. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में जिस वादपत्र की रेस्टोरेशन बाबत प्रार्थना पत्र पेश की है उस वाद पत्र का न तो सही नाम लिखा है व न ही वाद पत्र का नम्बर अंकित किया है।
2. प्रार्थी के वाद 97/2012 जिसकी पत्रावली संलग्न है का दिनांक 18.03.2021 को खारिज किया जाना बताया है परन्तु प्रार्थी ने रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र दिनांक 09.09.2021 को पेश किया जो कि Limitation Act 1908 द्वारा प्रस्तावित समय सीमा 30 दिन के बाहर है। प्रार्थी ने रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र के साथ सेक्शन 5 Limitation Act 1908 का प्रार्थना पत्र भी पेश नही किया व अपने वाद पत्र या बहस में कही भी देरी का कारण पेश नहीं किया।
3. अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र व बहस में अपनी अनुपस्थिति के दो कारण दिये एक तो मान्य राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थगन होना व दूसरा सही तारीख नोट न होना, परन्तु किसी भी कारण को साबित करने हेतु कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया।
4. पत्रावली की आदेशिका मनन कर पाया गया कि इस वाद पत्र में वादी दिनांक 08.01.2021 से लगातार अनुपस्थित रहे। पत्रावली में दिनांक 08.01.2021, 03.02.2021 व 18.03.2021 तीन तारीखों पर वादी की लगातार अनुपस्थिती दर्ज है। प्रार्थी ने अपनी इस लगातार अनुपस्थिती का भी कही कोई वजह स्पष्ट नही की।

न्यायालय उक्त लिखित बिन्दुओं के आधार पर यह पाता है कि प्रार्थी अधिवक्ता का इस पत्रावली को लेकर बहुत उदासहीन रवैया रहा है। प्रार्थी 3 माह से लगातार अनुपस्थित रहे, प्रार्थी को उपस्थित होने हेतु न्यायालय द्वारा कई अवसर प्रदान किये गये व उसके बाद ही पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गई।

अतः यह न्यायालय उक्त लिखित तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र बाबत वाद पत्र रेस्टोर को खारिज फरमाता है। निर्णय [illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:45:44 IST
Reason: SelfAttested

(अरशदीप बराड)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम